यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** के माह 11/2014 से माह 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दिनेश नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक एवं श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2014 से 08.12.2014 तक श्री प्रेम चन्द्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2009 से माह 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं का संचालन किया जाता है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	NIL	NIL	78.45	72.42	6.02	3728.28	3635.39	92.90
2015-16	NIL	NIL	82.61	75.29	7.33	2978.54	2903.24	75.30
2016-17 (Up to 09/2016)	NIL	NIL	69.10	26.38	0	1740.04	812.96	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2014-15			2015-16		
		प्रा. अवशेष	प्राप्ति	प्रा. अवशेष	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	प्रा. अवशेष
1.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडी जातियों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति	9.13	552.25	227.61	333.77	186.51	215.87
2.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	NIL	437.93	437.93	NIL	304.45	304.45

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्षों से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन **निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी** (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में .....(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, वृद्बावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये अधिक व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो–ब

प्रस्तरः -01- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत रु0 443.48 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2077/XVII-4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की **पोस्ट** मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ए.आई.सी.टी.ई./एम.सी.आई./एन.सी.टी.ई. तथा तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रवृत्ति के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा परदर्शिता के साथ निराकरण तथा अन्य लाभों को देखते हुए वर्ष 2014–15 से Online Scholarship Scheme लागू की गयी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ` 2.50 लाख तक हो, ऐसे समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। अन्य पिछडा वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा ` 1.00 लाख है किन्तु अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सीमित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा जिनका प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हुआ हो। सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी;

1. आवेदन पत्र को आय प्रमाण पत्र में निर्धारित आय से अधिक होने पर, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर तथा छात्र को गत वर्ष की परीक्षा में अनुर्तीण पाये जाने पर आवेदन को स्थायी रुप से निरस्त कर दी जाएगी।

2. कार्यालय में प्राप्त आन लाईन प्रस्ताव (छात्र सूची) को जॉच हेतु सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रुप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओं की जॉच करेगा। जॉच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिए सम्बन्धित सहायक कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी कार्यालय के दशमोत्तर छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः कुल 6874 एवं 6820 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए थे तथा जॉचोपरान्त क्रमश कुल 6809 एवं 6509 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु सभी प्रकार से योग्य पाये जाने पर

स्वीकृति प्रदान कर कुल धनराशि रु0 443.48 लाख का व्यय करते हुए छात्रवत्ति का भुगतान प्रदान किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि कक्षा 11 एवं 12 के लिए वर्ष 2014–15 में छात्रवृत्ति का भुगतान आनलाईन व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं किया गया था।

शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करने से पूर्व आवेदकों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014 में छात्रृत्ति प्रदान करने के उपरान्त माह मई 2016 में कुल 199 विद्यालयों के 6874 आवेदकों के सापेक्ष केवल एक विद्यालय के 14 छात्रों का भौतिक सत्यापन किया गया था जिसमें से एक छात्र अयोग्य पाया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 के 141 विद्यालयों के 6820 आवेदकों के सापेक्ष केवल 02 विद्यालय के 137 आवेदकों का सत्यापन किया गया था। जिनमें से 42 छात्र अपात्र पाये गये थे। इस प्रकार से उक्त दोनों वर्षो में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सभी आवेदकों की सत्यता की जॉच के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। यदि सभी आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया गया होता तो और अधिक छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु अयोग्य पाये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। जिससे लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र वास्तव में विद्यालय में अध्ययन प्राप्त कर रहे थे तथा उपरोक्त प्रावधानानुसार सभी प्रकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य थे अथवा नहीं। अतः इकाई द्वारा उपरोक्त भौतिक सत्यापन के अभाव में उक्त दोनों वर्षो में 13318 विद्यार्थियों को कुल रु0 443.48 लाख की धनराशि का सभी औपचारिकताओं को पूर्ण न करते हुए अनियमित भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में सभी लाभार्थियों का पूर्ण सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि पात्र छात्रों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों को पालन न करते हुए आवेदकों का बिना भौतिक सत्यापन कराये छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान किया गया।

अतः दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रु0 443.48 लाख का अनियमित भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के अभाव में ` 534.44 लाख का अनियमित भुगतान!

समाज कल्याण कार्यालय, उत्तरकाशी के अंतर्गत विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियो से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवम 2015-16 के दौरान लाभार्थियो को ` 534.44 लाख का भुगतान किया गया!

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 23/सीसी/XVII-I/2015-13(05)/2015 दिनांक 14.12.15 के द्वारा जनपद में अपात्र व्यक्तियों को विकलांग पेंशन वितरित किए जाने संबंधी मामलों में कार्यवाही किए जाने हेतु विकलांग पेंशन योजना के प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन संबन्धित उपजिलाधिकारी की निगरानी में राजस्व विभाग के कार्मिकों के माध्यम से कराने हेतु निर्देशित किया गया था तथा साथ ही सत्यापन में अपात्र पाये जाने वाले लाभार्थी का चयन निरस्त करते हुए भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि की नियमानुसार वसूली करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था!

उक्त के अनुपालन में समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियो का भौतिक सत्यापन राजस्व विभाग के कार्मिकों के माध्यम से कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी! परंतु संप्रेक्षा मे पाया गया कि जनपद उत्तरकाशी के छ विकास खंडों के सापेक्ष मात्र तीन विकास खंडो (मोरी, भटवाडी एवं पुरोला) के लाभार्थियों का सत्यापन किए जाने के उपरांत ही समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को सूचित (मार्च 2016) किया गया कि विकलांग पेंशन में कोई भी अपात्र पेंशनधारी प्रकाश में नहीं आए हैं!

जबकि तीन विकास खंडों की सत्यापन रिपोर्टों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि जो सत्यापन कराया भी गया था उसमे अधिकांश सत्यापन रिपोर्टों में पेंशनरों की मृत्यु की तिथि तथा सरकारी सेवा में आने की तिथि अंकित नहीं किए जाने से लेखा परीक्षा द्वारा यह ज्ञात करना कि संबन्धित पेंशनर ने कितनी अवधि में अपात्र पेंशन प्राप्त की, संभव नहीं था! तथापि विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियो के भौतिक सत्यापन से संबन्धित रिपोर्टों में ऐसे प्रकरण भी पाये गए जिसमे विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी की वर्ष 2009 में मृत्यु होने के पश्चात भी उसके खाते में माह जुलाई से सितम्बर 2016 तिमाही की पेंशन अक्टूबर 2016 में अंतरित की गयी तथा विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी को राजकीय सेवा में पाये जाने के बाद भी पेंशन उनके खाते में वर्तमान तक अंतरित की जा रही थी!

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर समाज कल्याण अधिकारी,उत्तरकाशी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि विकलांग पेंशन में कोई भी अपात्र पेंशनधारी प्रकाश में नहीं पाये जाने संबंधी सूचना निदेशक, समाज कल्याण को त्रुटिवश प्रेषित की गयी तथा लाभार्थी की मृत्यु होने अथवा सरकारी सेवा में आने के पश्चात भी पेंशन उनके खाते में अंतरित किए जाने के संबंध में कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत सभी अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोका जाना सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही तीन ऐसे विकासखंडों जिनमें लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है शीघ्र ही भौतिक सत्यापन करवाते हुए पाये गए सभी अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोका जाना सुनिश्चित किया जाएगा!

समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में की गयी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियो को उनकी मृत्यु के चार माह से लेकर 7 ½ वर्ष बाद भी पेंशन उनके खातों में अनियमित रूप से अंतरित की जा रही है!

अतः समाज कल्याण अधिकारी,उत्तरकाशी कार्यालय द्वारा बिना पूर्ण एवं विश्वसनीय सत्यापन कराये ही 2014-16 कि अवधि में अनियमित रूप से विकलांग पेंशन योजना पर ` 534.44 लाख व्ययित किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है!

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-3- सत्यापन के अभाव में मृतक/अपात्र को निर्गत वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि ` 59.07 लाख इकाई स्तर पर अवरूद्ध रखना।

वृद्धावस्था पेंशन भरण-पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 01 जनवरी 2014 से पूर्व पेंशन की दर ` 400 प्रतिमाह एवं 01 जनवरी 2014 के पश्चात पेंशन की दर ` 800 निर्धारित की गई। योजना के अनुसार वृद्धाओं को अपने भरण-पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर इत्यादि की जाँच के उपरान्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लिखित आवेदन पत्रों पर विचार करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। शासनादेश संख्या 284/XVII-2/2011-39 विविध/2002 दिनांक 11.03.2011 के अनुसार वर्ष 2011-12 से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों को माह के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर वितरित की जाएगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के स्थान पर भुगतान क्रमशः जून, सितम्बर दिसम्बर एवं फरवरी के अन्त तक किया जाना अनिवार्य है। शासनादेश के पत्रांक संख्या XVII-2(02)/2010 के दिनांक 06 जनवरी 2015 अनुसार कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान है ताकि यह पता चल सके कि पात्र लाभार्थी जीवित है या नहीं।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी के वृद्धावस्था पेंशन अनुदान योजना के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गयाकि कार्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले वृद्धावस्था पेंशनरों का विधिवत सत्यापन प्रत्येक वर्ष में नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय को यह पता ही नहीं चल पाता है कि पेंशन के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रूप से पात्र जीवित विधवाया पात्र लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके कि त्रैमासिक भुगतान किए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। प्रत्येक वर्ष में विधिवत सत्यापन न किये जाने का कारण ही है कि वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (सितम्बर 2016 तक) में मृतक/अपात्र वृद्धाओं को ` 59.07 लाख, ` 800 मासिक पेंशन जून 2016 तक पेंशन निर्गत की जा चुकी है। ` 59.07 लाख धनराशि बैंक के माध्यम से वापस आ चुकी है एवं खण्ड स्तर पर अवरूद्ध पडी है। इससे स्पष्ट है कि योजना के अंतर्गत प्रदत्त की गई धनराशि ऐसी वृद्धों को भी दी गई थी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या अपात्र थे। यदि प्रत्येक वर्ष में विधिवत सत्यापन किया जाता तो उक्त विसंगति से बचा जा सकता है। मृत्यु की वास्तिवक तिथि ज्ञात न होने के कारण लेखापरीक्षा में मृत्यु उपरान्त किए गये भुगतान का आंकलन

नहीं किया जा सका। अवरूद्ध पड़ी धनराशि के संबंध में भी किसी प्रकार की सूचना शासन स्तर पर नहीं दी जा सकी है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भौतिक सत्यापन अभी तक पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है क्योंकि यदि प्रत्येक वर्ष में शासनादेश के अनुसार विधिवत भौतिक सत्यापन किया जाता तो उक्त विसंगति से बचा जा सकता था।

अतः सत्यापन के अभाव में मृतक/अपात्र वृद्धाओं को निर्गत वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि ` 59.07 लाख इकाई स्तर पर अवरूद्ध रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4- विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप 42 निर्माण कार्यों को अपूर्ण रखते हुए ` 227.55 लाख की धनराशि को पी.एल.ए में अवरुद्ध रखा जाना !

उत्तराखंड शासन के आदेश संख्या 645/XVII- 4/ 2015 -01(28)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना वर्ष 2014-15 हेतु ` 680.09 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ ! उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 45 निर्माण कार्य दिसंबर 2015 तक निष्पादित कराये जाने थे !

जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा मई 2015 में 44 निर्माण कार्यों (एक निर्माण कार्य ` 13.14 लाख की लागत का दो बार स्वीकृत होने के कारण निष्पादित नहीं कराया गया) को निष्पादित कार्ये जाने हेतु निम्नानुसार विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को नामित करते हुए कार्यादेश जारी किए गए तथा धनराशियाँ निर्गत की गईं:

क्रमांक	कार्यदायी संस्था का नाम	निर्माण कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (लाख में)	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि(लाख में)	पूर्ण किए गए निर्माण कार्य	पी.एल.ए। में अवरुद्ध धनराशि (लाख में)
1	अधिशासी अभियंता, लो.नि.वि., पुरोला	33 कार्य	536.50	267.25	108.54+7.27	02	153.44
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पुरोला	05 कार्य	62.42	22.34	00	00	40.08
3	अधिशासी अभियंता ग्रा.अभि.से.विभाग, उत्तरकाशी	02 कार्य	07.00	3.50	00	00	3.50
4	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी	04 कार्य	61.03	30.50	00	00	30.53
योग		**44**	**666.95**	**323.59**	**115.81**	**02**	**227.55**

समाज कल्याण विभाग को संबन्धित कार्यदायी संस्थाओं से एम.ओ.यू करते हुए तथा कार्य पूर्ण किए जाने की समय सीमा निर्धारित करते हुए उक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित स्वीकृत पूर्ण धनराशि दिसम्बर 2015 तक निर्माण कार्यों कों पूर्ण कराते हुए उपभोगित की जानी थी तथा कार्य समयांतर्गत पूर्ण न करने पर संबन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी थी!

जबकि सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि समाज कल्याण कार्यालय द्वारा संबन्धित कार्यदायी संस्थाओं से बिना एम.ओ.यू तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित किए ही 44 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम किस्त के रूप में ` 323.59 लाख की धनराशि अक्तूबर-दिसम्बर 2015 में निर्गत की गयी थी जिसमे से 27 निर्माण कार्यों से संबन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संप्रेक्षा तिथि (अक्तूबर-2016) तक भी प्रथम किस्त की धनराशि को व्ययित नहीं किया जा सका था! जिसके परिणामस्वरूप 44 निर्माण कार्यों के सापेक्ष मात्र 17 निर्माण कार्यों से संबन्धित कार्यदायी संस्थाओं को ही द्वितीय किस्त के रूप में ` 115.81 लाख की धनराशि मार्च 2016 में निर्गत की जा सकी ! इस प्रकार समाज कल्याण कार्यालय, उत्तरकाशी के पी.एल.ए खाते में 27 निर्माण कार्यों से संबन्धित द्वितीय किस्त की ` 227.55 लाख धनराशि डेढ़ वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरुद्ध पड़ी हुई है!

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि भविष्य मे कार्यदायी संस्थाओं से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में एम.ओ.यू किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्यदायी संस्थाओं को द्वितीय किस्त की धनराशि निर्गत करते हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा!

अतः इकाई की स्वीकारोक्ति से ही स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप ही 42 निर्माण कार्यों को अपूर्ण रहने के साथ-साथ ` 227.55 लाख की धनराशि को पी.एल.ए में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा गया है!

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है!

भाग दो (ब)

प्रस्तर-5- वित्तीय प्रावधानों के विपरीत विगत छः वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष के रूप में ` 48.73 लाख से ` 941.05 लाख तक की धनराशियाँ अवरुद्ध रखते हुए पी.एल.ए. का संचालन किया जाना!

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ओर्डर्स (C&AG's Manual of Standing Orders, Accounts & Entitlement) के **प्रस्तर 7.6 एवं 7.7** के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा महालेखाकर से परामर्श के पश्चात पी.एल.ए. स्वीकृत किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष के अंत में पी.एल.ए. में अवशेष धनराशियों को ऋणात्मक डेबिट के द्वारा समेकित निधि के संबन्धित सेवा शीर्ष में अंतरित करने के पश्चात पी.एल.ए. बंद किया जाना चाहिए एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में महालेखाकर की अनुमति पर पुनः पी.एल.ए. खोला जा सकता है !

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के अंत में स्पे.कम्पो.प्लान, अटल आवास योजना, प्रचार प्रसार, पेंशन शिविर एवं विकलांग शिविर आदि से संबन्धित अवशेष धनराशियाँ ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, उत्तरकाशी के पी.एल.ए. खाते वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015—16 तक की अवधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित धनराशियाँ अवशेष के रूप में जमा थीं:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पी.एल.ए. में जमा का विवरण

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष**	**मार्च माह के अंत में पी.एल.ए. खाते में अवशेष धनराशि (लाख में)**
1	2010-11	48.73
2	2011-12	89.25
3	2012-13	50.56
4	2013-14	386.09
5	2014-15	941.05

6	2015-16	279.29

उक्त के सम्बन्ध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उक्त अनियमितता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ओर्डर्स (C&AG's Manual of Standing Orders, Accounts & Entitlement) के **प्रस्तर 7.6 एवं 7.7** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा !

इकाई की स्वीकारोक्ति से स्वतः ही स्पष्ट है कि जिला समाज कल्याण कार्यालय, उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक वित्तीय प्रावधानों के विपरीत वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष के रूप में ` 48.73 लाख से ` 941.05 लाख तक की धनराशियाँ अवरुद्ध रखते हुए पी.एल.ए. का संचालन किया जा रहा है !

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है !

भाग दो–ब

प्रस्तर-6- अटल आवास योजना के अन्तर्गत रु0 23.65 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी 38 लाभार्थियों को लाभान्वित न किया जाना।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अटल आवास योजना के अन्तर्गत जनपद के आवासहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लाभान्वित करना है जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये हों। आवास निर्माण की लागत पर्वतीय क्षेत्रो हेतु रु0 38500 निर्धारित है जिसमें से प्रथम किस्त के रुप में 23500 तथा आवास का निर्माण कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त रु0 15000 द्वितीय किस्त के रुप में प्रदान किया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी कार्यालय के अटल आवास योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान कुल 133 आवेदन प्राप्त हुए थे। उपरोक्त अवधि में रु0 28.26 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए 65 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है तथा 86 लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय किस्त का भुगतान प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2016) के अन्त में कुल 38 पात्र लाभार्थियों को न तो स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया था और न ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया। कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा पूरक रोकड बही पार्ट–2 की जॉच में पाया गया कि योजनान्तर्गत वर्तमान में भी विगत कई वर्षो से रु0 23.64 लाख अवशेष थे। यह भी पाया गया कि लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान करते समय आवास निर्माण के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार से एक ओर तो आवास हेतु प्रतीक्षारत 38 पात्र लाभार्थियों को 38,500 × 38 = 14,63,000/ का भुगतान कर वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया गया बल्कि रु0 23.65 लाख की धनराशि को अनावश्यक रुप से रखा गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अवशेष धनराशि पूर्व के वर्षो में स्वीकृत लाभार्थियों, जिनको प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है के लिए आवश्यक धनराशि की गणना करने के पश्चात वांछित धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि से प्रतीक्षारत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि इकाई के पास द्वितीय किस्त प्रदान किये जाने वाले लाभार्थियों की अद्यतन

सूची उपलब्ध नहीं थी तथा इकाई द्वारा लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान करते समय आवास निर्माण के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गयी थी।

अतः रु0 23.65 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 38 लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो–ब

प्रस्तरः-7- रु0 732.93 लाख की धनराशि के अवरुद्ध रखे जाने तथा 04 अनाधिकृत बैंक खातों का संचालन किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग–3/ 2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से धनराशि का आहरण किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 04 चालू बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी थी। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को कोषागार से आहरित कर इन बैंक खातों में रखा जा रहा था। आगे जॉच में पाया गया कि अधिकतर सभी योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया था जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :

(धनराशि ` लाख में)

बैंक का नाम	**03/2015 के अन्त में अवशेष धनराशि**	**03/2016 के अन्त में अवशेष धनराशि**	**10/2016 में अवशेष धनराशि**
भारतीय स्टेट बैंक	686.73	1070.10	499.38
यूनियन बैंक	-	-	102.47
पंजाब नेशनल बैंक	-	89.53	05.30
को–आपरेटिव बैंक	434.35	202.08	125.78
कुल योग	**1121.08**	**1361.71**	**732.93**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि (माह 10/2016) में भी उक्त सभी बैंक खातों में रु0 732.93 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी है। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए रोकड बही का रख रखाव नहीं किया गया था तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक खाते में शेष धनराशि का योजनावार शेष का विवरण नहीं बनाया जाता। जिससे लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जा सका कि बैंक में जमा धनराशि किस योजना की कितनी धनराशि थी। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया गया था। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था जबकि रोकड बही भाग–दो के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि के सम्बन्ध में माहवार बैंक समाधान विवरण बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा भविष्य में वास्तविक रुप से व्ययित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जाएगा। कार्यालय द्वारा 04 चालू बैंक खातों के संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि शासन के वित्त विभाग से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करते हुए बैंक खातों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः रु0 732.93 लाख की धनराशि का अवरोधन तथा 04 अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN
10/2011-12	1,2,3,4,5	1,2,3	शून्य
131/2014-15	1	1,2,3,4	1,2

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित की अनुपालन आख्याः-

<table>
<tr><th>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</th><th>प्रस्तर सं. लेखापरीक्षा प्रेक्षण</th><th>अनुपालन आख्या</th><th>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>10/2011-12</td><td>II-A- 1,2,3,4,5
II-B- 1,2,3</td><td colspan="3" rowspan="2">अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्च अधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>131/2014-15</td><td>II-A- 1
II-B- 1,2,3,4</td></tr>
</table>

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	श्री श्याम लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2.	श्री मदन लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी
3.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)